

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) () अलेसे-1/ 2530

दिनांक:- 03-02-2023

आदेश

वित्त (बजट) विभाग के आदेशों की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2013 के नियम 22 के प्रावधानानुसार इनडोर एवं आउटडोर चिकित्सा दावे जो आर.जी.एच.एस. के पुनर्भरण मॉड्यूल पर किये गये हैं, के ऑनलाइन निस्तारण हेतु निम्नांकित कार्मिकों को कार्यालय कोषालय बाड़मेर में सेकिण्डमेंट बेसिस पर कार्य सम्पादित करने हेतु तुरन्त प्रभाव से दिनांक 24.02.2023 तक लगाया जाता है:-

क्र.स.	नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री गोरधनराम सोनी	सहायक लेखाधिकारी-ग्रेड प्रथम	उपकोष धोरीमन्ना
2	श्री दिनेश कुमार	सहायक लेखाधिकारी- ग्रेड प्रथम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर
3	श्री गिरधारी लाल	सहायक लेखाधिकारी- ग्रेड प्रथम	सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग बाड़मेर


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 03-02-2023

क्रमांक:- एफ.2 (क) () अलेसे-1/ 2530

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोषालय बाड़मेर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर।
6. सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बाड़मेर।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)